



क्रमांक-परीक्षा/2021/3103

दिनांक 25.9.2021

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,
सीकर।

विषय :- बी.कॉम भाग-तृतीय कम्प्यूटराईज्ड अकाउंटिंग की प्रायोगिक परीक्षा-2021 आयोजित करवाने के सम्बंध में।


संदर्भ :- शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के संलग्न पत्र क्रमांक प.3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 04.07.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा बी.कॉम भाग-तृतीय कम्प्यूटराईज्ड अकाउंटिंग की प्रायोगिक परीक्षा-2021 दिनांक 27.09.2021 से दिनांक 02.10.2021 तक आयोजित की जानी है। आपके महाविद्यालय में नियुक्त बाह्य परीक्षकों का पैनल महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के संलग्न पत्र क्रमांक प.3(7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट दिनांक 04.07.2021 एवं UGC Guidelines on Examinations and Academic Calender in view of the COVID-19 Pandemic July, 2021 के अन्तर्गत प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी के मूल्यांकन फाईल/असाईमेंट के आधार पर ही सम्पन्न करवाई जावे। इस हेतु परीक्षार्थी को महाविद्यालय में नहीं बुलाया जावे। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, viva-voce Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जावे। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाईमेंट/ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जावे। प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें।

1. प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक को स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र प्रेषित कर अथवा उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर वार्ता अनुसार प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण करें। परीक्षा आयोजन के लिए दिनांक का निर्धारण बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाना है।
2. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व परीक्षक से बिना संपर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।
3. महाविद्यालय में पंजीकृत समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उपर्युक्त निर्धारित अवधि में ही आयोजित करावे। विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना निर्धारित अवधि के पश्चात् महाविद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा मान्य नहीं होगी।
4. प्रायोगिक परीक्षा की अंक सूची प्रिंट कर एक प्रति विश्वविद्यालय (University Copy) में भिजवाए तथा एक प्रति महाविद्यालय (Principal Copy) में सुरक्षित रखें।
5. प्रायोगिक परीक्षा की प्रत्येक अंक सूची पर बाह्य परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक है।

6. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों के रोल नं. जारी नहीं हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थियों (Additional/New Student/Batch Transfer Candidate) के उपलब्ध विवरण को ऑनलाईन साफ्टवेयर में इंद्राज करते हुए (यथा रोल नं. पिता का नाम, फॉर्म नं.) पात्र पाए जाने पर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। परीक्षा आवेदन पत्र की जाँच के दौरान परीक्षार्थियों के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।
7. प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की निर्धारित अवधि उपरान्त अलग से प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं करावें।
8. बाह्य परीक्षकों का पैनल अति गोपनीय है। अतः प्राचार्य इसकी गोपनीयता बनाए रखें।
9. आन्तरीक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्ट भी ऑनलाईन ही की जानी है। इस हेतु महाविद्यालय पोर्टल पर बैच उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
10. प्रायोगिक परीक्षा ऑनलाईन करवाने के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाईन नम्बर 7742505957 से सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक से सम्पर्क किया जा सकता है।


(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 25.09.2021

क्रमांक: परीक्षा/2021/3103

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. लेखा शाखा।
3. रक्षित पत्रावली।


परीक्षा नियंत्रक